

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्रमांक 5037 / एफ-1-201/31/एस-2/2024,

नवा रायपुर, दिनांक 24/12/2024

प्रति,

मुख्य अभियंता,  
हसदेव गंगा कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
अंबिकापुर (छ.ग.)

- विषय :- जशपुर जिले के विकासखंड-जशपुर की संभागीय कार्यालय, जल संसाधन संभाग जशपुर के मरम्मत कार्य एवं जीर्णोद्धार कार्य तथा अनुविभागीय कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार एवं बाउण्ड्रीवॉल, 02 नग निरीक्षण कुटीर का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
- संदर्भ :- 1. प्र.अ.का पत्र क्र.-61/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2024/2187, दिनांक 11.03.2024.  
2. मु.अ.,हसदेव गंगा.कछार,अंबिकापुर का पत्र क्र.-2048/कार्य/3(214), दि.24.07.2024.

राज्य शासन एतद् द्वारा जशपुर जिले के विकासखंड-जशपुर की संभागीय कार्यालय, जल संसाधन संभाग जशपुर के मरम्मत कार्य एवं जीर्णोद्धार कार्य तथा अनुविभागीय कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार एवं बाउण्ड्रीवॉल, 02 नग निरीक्षण कुटीर का निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 299.86 लाख (रु. दो करोड़ निन्हाबें लाख छियासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

- कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
- योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828)-लघु सिंचाई योजना, #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 11.12.2024 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त की गई है।
- योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
- निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
- संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

( प्रेमसिंह घरेन्द्र )


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
  3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
  7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
  8. कलेक्टर, जिला-जशपुर (छ.ग.)।
  9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
  10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर।
  11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
  12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
  13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
  14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जशपुर (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग